संख्या- 16/2016/ 909 /26-2-2016

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में ''समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण'' योजना में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-172/स0क0/सां0-कम्प्यू0/2016-17, दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/ बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में ''समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण'' योजना में मानक मद-02-मजदूरी में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016 -231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3. प्रश्नगत योजनान्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय। इस संबंध में नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का व्यय सेवा प्रदाता संस्था NIELIT/DOEACC से लिए गये उन्हीं कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जायेगा जिनकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गई है। इस धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिये विभागाध्यक्ष स्वयॅ उत्तरदायी होंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-200-अन्य कार्यक्रम-09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण-02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

नीरजा कुरील
अनु सचिव

<u>पृ0संख्या- 16/2016/909 (1)/26-2-2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

8- नियोजन अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।